

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-136/ग्यारह-9(11)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(127)-2015
लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 29 जनवरी, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

- (क) उक्त अनुसूची-एक में, कम संख्या 4 पर अंकित प्रविष्टि में शब्द " या धान का बाहरी छिलका" विलोपित कर दिये जायेंगे।
- (ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, कम संख्या 62 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

कम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
62	राइस पालिस, राइस ब्रान और राइस हस्क ; पैडी हस्क

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।